

और दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक और असभ्य घटनाएं भविष्य में न घटें। धन्यवाद।

**श्री वीर पाल यादव** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

**Non-disclosure of facts by the Government relating to death of  
former Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri**

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 11 जनवरी, 1966 को हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बड़ी संदिग्ध अवस्था में, ताशकंद में मौत हो गई थी। महोदय, उन्होंने 1965 की लड़ाई के बाद 10 जनवरी, 1966 को पाकिस्तान और रसियन मीडिएशन के बीच एक समझौता किया था। उन्होंने 8 बजे एक रिसेप्शन अटेंड किया और दस बजे अपने कमरे में आकर भोजन किया तथा दूध पीकर सो गए। रात को उनको तकलीफ हुई और वे कोफिंग करने लगे तथा उसके बाद उन्होंने अपने फ्लॉस्क से पानी पिया। पानी पीने के बाद वे बहुत ही विचलित हो गए और उन्होंने डॉक्टर, डॉक्टर कहकर पुकारा। डॉक्टर आए और वे डॉक्टर चुग को दिखा रहे थे कि पानी के फ्लॉस्क में कुछ है। उस फ्लॉस्क की तरफ इशारा करते-करते वे बेहोश हो गए और अंततः वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसकी जांच-पड़ताल की मांग पहले बहुत बार हुई है, इस सदन में हुई है और बाहर भी हुई है। सरकारों ने मांग की, पर उसका कुछ पता नहीं लगा। अब RTI के तहत यह मांगा गया कि इसके साथ जुड़े हुए पत्र व रिपोर्ट, सब दिए जाएं। यह पूछा गया है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1 जुलाई को जवाब दिया कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जब यह पूछा गया कि उनसे संबंधित कागजात जो प्रधान मंत्री कार्यालय में आए हों, उनकी रिपोर्ट आई हो, उन सबकी प्रतिलिपि दी जाए। इसका जवाब दिया गया कि "this office possesses only one classified document, copy of which cannot be provided under Section 8(1)(a) of the RTI Act".

अब RTI Act का 8(1)(a) यह कहता है कि "information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific and economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence" इसके तहत नहीं दिया गया। मेरा यह कहना है कि हमारे देश का प्रधान मंत्री मर जाए और हम इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन न दें कि रसिया से हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तो यह दुर्भाग्यजनक है। इस गहराई को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन हालातों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई, क्या वह हत्या थी, क्या कोई षडयंत्र था? उनकी पत्नी लीला शास्त्री जी ने उस वक्त कहा था कि जो उनका फ्लॉस्क था, जो बैड साइड पर पानी पीने के लिए रखा था, that was spite. आज तक उसके बारे में कोई भी चीज हमारे सामने नहीं रखी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डी-क्लासिफाइड करके दिखाया जाए।  
...(व्यवधान)...

**श्री प्रभात झा** (मध्य प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

**श्रीमती माया सिंह** (मध्य प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करती हूँ।

**श्री कलराज मिश्र** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

**श्री उपसभापति** : सभी एसोसिएट करते हैं।

**Fatal accidents at workplaces in different parts of country**

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I rise to draw, through you, the attention of the Government as well as this august House to the alarming spate of fatal accidents occurring in the workplaces leading to loss of life of poor workers in recent times. The latest one that happened only yesterday, involving the Delhi Metro Rail Corporation, took away six lives.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): I just learned that one accident occurred today.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Yes. The immediately preceding one to it was on 7th July, 2009 at M/s V.B.M. Fireworks at Madurai, Tamil Nadu, which took away 18 lives. They were completely burnt. Many were injured. Three of those killed were child labourers. Seven of those injured were child labourers, although the Explosives Act of the country prohibits employment of child labour in the fireworks/explosive factory.

The immediately preceding one to it was on 5 July that took place in two adjoining explosive factories, namely, the Ideal Explosives Industries and the Rajasthan Chemical Explosives Ltd. at Singrauli in Madhya Pradesh. It was officially reported that 17 workers died there. But more than 35 people are missing.

The position is that not all the names of those who were working inside the factory in the particular shift are given in the employment register, particularly of contract workers. A big section of them comprise contract workers. Thirty-five people are missing and the death toll may be more than that.

The immediately preceding one to it was on 1st May 2009 at the Lakhani Shoe Factory at Faridabad, which killed 18 workers and again, at least, ten bodies are unidentifiable. These are 28 people. And their names are also not found in the employment register.

The accidents occurred due to explosives blast and this led to the tragic incident. I seek to draw the attention of all concerned to two glaring aspects of human tragedy that took place. One is that in most of the workplaces where accidents are taking place, at least names of more than 70 per cent of the workers are not given in the employment register, although it is the statutory obligation of the principal employer to record their names in the employment register. ...*(Time bell rings)*... Please, one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am just reminding you of the time limit.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: In case of deaths, their families do not get any compensation. Their family members are now struggling to claim that their....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Najma Heptulla.